

प्र.का/दे.बी.वि./नाइज़र/154/2022-23

दिनांक : 03-08-2023

महोदय / महोदया,

विषय – नाइज़र पर ईसीजीसी की संशोधित देश हामीदारी पॉलिसी

दिनांक 03.08.2023 से नाइज़र के देश जोखिम वर्गीकरण को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित हामीदारी पॉलिसी निम्नानुसार है:

देश	वर्तमान श्रेणी एवं रक्षा का प्रकार	संशोधित श्रेणी एवं रक्षा का प्रकार
नाइज़र	सी1, खुली रक्षा वर्ग	सी2, प्रतिबंधित कवर श्रेणी - I (आरसीसी- I)

2. प्रतिबंधित कवर श्रेणी - I (आरसीसी- I) के अंतर्गत परिक्रमी सीमाओं का अनुमोदन किया जाता है, जो कि सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध होती हैं।
3. ईसीजीसी नाइज़र में घटनाक्रम की निगरानी करना जारी रखेगा और यथावस्यक समीक्षा करेगा। आपसे अनुरोध है कि किसी भी सहायता के लिए ईसीजीसी की अपनी सर्विसिंग शाखा से संपर्क करें।

धन्यवाद

भवदीय,



(विवेक तिवारी)

सहायक महाप्रबंधक

देश बीमा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग

HO/CUD/NIGER/154/2023-24

Date: 03-08-2023

Dear Sir / Madam,

Subject – Revised ECGC underwriting policy on Niger

It has been decided to modify the country risk classification of Niger with effect from 03.08.2023. The revised underwriting policy is as under:

Country	Present Rating and Type of Cover	Revised Rating and Type of Cover
Niger	C1, Open Cover	C2, Restricted Cover Category – I (RCC - I)

2. Under RCC-I category, revolving limits are approved which are normally valid for a year.

3. ECGC will continue to monitor the developments in Niger and further review the cover, if necessary. You are requested to contact your servicing branch of ECGC for any assistance.

Thanking you,

Yours faithfully,



(Vivek Tiwari)

Assistant General Manager

Country Underwriting & International Relations Department